नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	12/5/2025	पत्रावली पेश हुई। बमुलाय पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रारंभ के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 212 RT act r.w. O. 39 R1&2 cpc के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिये इसे निम्न 03 बिन्दुओं पर परखना आवश्यक है :-	

(अ) प्रकरण प्रथम दृष्ट्या :- प्रार्थी० प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा तहसील पिड़ावा की वादग्रस्त आराजी हाल खाता नं० 251 किता 2 रकबा 1.7326 hac, खाता नं० 96 किता 18 रकबा 7.8660 hac, खाता नं० 95 किता 2 रकबा 1.7326 hac, खाता नं० 94 किता 2 रकबा 1.2647 hac, व खाता नं० 93 किता 5 रकबा 2.2131 hac, प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है जो मूलत: नाथूसिंह के खाते दर्ज थी और विरासत में उनके पुत्रों-मांगूसिंह, अम्मा एवं पुत्री की सहखातेदारी में दर्ज हुई थी। मांगूसिंह के फौत होने पर विरासत में जरिये नामा० नं० 228 दिनांक 20/6/2000 से अप्रार्थी क्रम 1 बालूसिंह व बहिनो के खाते दर्ज हुई थी। प्रार्थीगण, अप्रार्थी क्रम 1 बालूसिंह के ही वारिसान है और इसलिये वादग्रस्त पैतृक आराजी में जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। अत: अप्रार्थी क्रम 1 के दर्ज हिस्से में प्रार्थीगण के निहित 1/2 भाग (Notional share) तक प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

प्रार्थी० प्रार्थीगण की उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुये अप्रार्थी० अप्रार्थी 1 ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी [illegible] अपने पिता से विरासत में मिली थी [illegible] सिंह उर्फ मांगीलाल के फौत होने के बाद [illegible] हिस्सा 3 नग 08 वारिसान (पुत्र - [illegible] व 01 बेवा) के खाते 1/8 - 1/8 दर्ज हुई थी। बाद में बहिनो व मां ने अपने-अपने हिस्सो का अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में हकत्याग कर दिया था। हकत्याग से अप्रार्थी 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:07 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में ...

को प्राप्त आराजी स्वअर्जित संपत्ती होगी जिसमे प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नही होगा। आगे कथन किया कि अप्रार्थी 1 (पिता) के जीवनकाल मे प्रार्थीगण को Notional share क्लेम करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी क्रम 1 से कोई अधिकार मांग रहे है लेकिन जिम्मेदारियां नही निभा रहे है, अप्रार्थी 1 बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी प्रार्थीगण द्वारा कभी भी देखभाल नही की। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही है।

उभयपक्षकारान की बहस के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खड़गपुरा तहसील फिरका की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2054-57 के अनुसार ख०न० 466, 487, 499, 550, 551, 556, 617, 701, 705, 710, 714, 715, 716, 505, 734, 736, 485, 738, 746/794, 717 किता 20 रकबा 36-19 बीघा भूमि मांगू, भग्गा व पुरो पिसरान नाथू जाति राजपूत के खाते दर्ज रिकार्ड थी। इसी प्रकार ख०न० 446, 382, 449 किता 3 रकबा 6-17 बीघा भूमि मांगीलाल, भगवानसिंह व पूरासिंह पिसरान नाथू जाति राजपूत के खाते दर्ज थी। जमाबंदी संवत 2058-61 के अनुसार ख०न० 502, 504/1 व 504/2 किता 3 रकबा 5 बीघा मांगीलाल पिता नाथू राजपूत के खाते दर्ज रिकार्ड थी। ख०न० 500, 735, 747, 748, 749 भी तीनो के खाते

विरासत नामा स० 228 व 234 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहखातेदार मांगूसिंह उर्फ मांगीलाल के फौत होने पर उसकी वादग्रस्त आराजी उनके पुत्र- बालूसिंह, पुत्रियाँ- गंगाबाई, सौरमबाई, राजाबाई, मांगीबाई, मुन्नाबाई व बेवा धूलीबाई के सहख[illegible] हुई थी। अर्थात यह भूमिया संयुक्त परिवार की [illegible]भाजित भूमि बनी रही प्रार्थीगण द्वारा [illegible] संवत 2062-65 के अनुसार भी वादग्रस्त भूमियां संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि के रूप मे दर्ज है जिसमे खाता स० 69 किता 20 रकबा 37-19 बीघा मे बालूसिंह का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

हिस्सा 1/24, खाता न० 67 किता 3 रकबा 6-17 बीघा मे बालुसिंह का हिस्सा 1/24, खाता न० 68 किता 5 रकबा 8-15 बीघा मे बालुसिंह का हिस्सा 1/24 जबकि खाता न० 66 किता 2 रकबा 5 बीघा मे बालुसिंह का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड रहे।

प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने जवाब प्रपत्र मे व बहस के दौरान इस तथ्य पर सहमत है कि अप्रार्थी क्रम 1 के एकमात्र पुत्र/पुत्री - प्रार्थी क्रम 1 प्रसिंह है जो शुरू से ही अपने नाना के घर घर्जवाई रहता है। It is a well settled law position है कि पति के जीवनकाल मे उसकी संपत्ति मे पत्नि का कोई हक व अधिकार निहित नही होता है, केवल पति से भरण-पोषण भत्ता प्राप्त कर सकती है।

उपरोक्त विवेचन से जाहिर होता है कि ग्राम खड़गपुरा की वादग्रस्त आराजी मे से (जमाबंदी संवत 2062-65 के अनुसार) संयुक्त परिवार की अविभाजित भूमि खाता सं० 67 किता 3 रकबा 6-17 बीघा हिस्सा 1/24, खाता सं० 68 किता 5 रकबा 8-15 बीघा हिस्सा 1/24 एवं खाता सं० 69 किता 20 रकबा 37-19 बीघा हिस्सा 1/24 प्रार्थी क्रम 1 की पैतृक आराजी होगी जबकि खाता सं० 66 किता 2 रकबा 5 बीघा पैतृक आराजी होना साबित नही है। हाल जमाबंदी संवत 2074-77 के अनुसार खाता सं० 95 किता 3 रकबा 6-17 बीघा (1.7326 hec) खाता सं० 96 किता 18 रकबा 7.8860 hec, एवं खाता सं० 251 किता 2 रकबा 1.7326 hec, एवं खाता सं० 93 व 251 किता 2 किता 5 रकबा 8-15 बीघा (2.2131 hec) मे अप्रार्थी 1 बालुसिंह का हिस्सा 3/16 दर्ज [illegible] क्रम 1 का संवत 2062-65 मे दर्ज हिस्सा [illegible] मे 3/16 कैसे दर्ज हुआ - स्पष्ट नही [illegible] का कथन है कि बालुसिंह की बहिनें ने अपने 1/24-1/24 हिस्सा का बालुसिंह के पक्ष मे हकत्याग कर दिया था। बहिनों से जरिये हकत्याग/दान आदि से प्राप्त हिस्सा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म

बालूराईट की स्व-अर्जित संपत्ति होगी। इसे पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वेश्वर बनाम यू. आर. निरूपा देवी 2010 SCC online 136 में अभिनिर्धारित किया है कि पैतृक संपत्ति पुरुष वंश की चार पीढ़ियों तक विरासत में मिलती है और वंश की पूरी अवधि के दौरान अविभाजित रहनी चाहिये।

अप्रार्थीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत दशरथ व धर्मेन्द्र कुमार बनाम तुलसीराम आर० आर० डी० 2022(2) पेज नं० 1050 के तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण से थोड़ा भिन्न है। पेश न्यायिक दृष्टांत में संपत्ति दादा के नाम दर्ज है और दादा जीवित है। पिता भी जीवित है लेकिन पिता के नाम अभी संपत्ति दर्ज नहीं हुई है। हस्तगत प्रकरण में संपत्ति स्वयं पिता के खाते दर्ज है और अविभाजित पैतृक आराजी है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश अन्य न्यायिक दृष्टांत Rajbihari Vs Ramnarayan RRT 2017(2) पेज 945 में पिता के जीवित रहते हुऐ एवं स्वतंत्र रूप से हिस्सा दर्ज होने पर भी प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 01 R10 CPC में आवश्यक पक्षकार के रूप में वाद में संयोजित होने के लिए निगरानी पेश की गई है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम खड़गपुरा की वादग्रस्त आराजी (अप्रार्थी 1 की) खसरा सं० 93, 95, 96 व 251 में पिता/अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से 3/4 में से केवल 1/[illegible] हिस्से तक की भूमि के (अविभाजित) पैतृक [illegible] चाहिए होने से मुताबिक खसरा, [illegible] क्रम 1 [illegible] /48 (1/24 x 1/2) तक ही प्रकरण [illegible] साबित होता है (शेष [illegible] क्रम 1 के पक्ष में संपत्ति साबित होने से) अप्रार्थी 1 की स्व-अर्जित [illegible]।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर व अहकाम हुक्म की में जाव	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 1 उक्त पैतृक भूमि को बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी 1 ने प्रार्थीगण के जन्म से निहित हिस्से का भी बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को अपनी पैतृक संपति के अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। अप्रार्थी क्रम 1 ने ना तो प्रार्थीगण को कोई भरण पोषण दिया है और ना ही कोई भूमि दी है जिससे प्रार्थीगण के लिये जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है।

अधि0 अप्रार्थीगण ने विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण, अप्रार्थी को छोड़कर अपने नाना के पास कुंडिया रहते हैं और अप्रार्थी की भूमि को हड़पना चाहते हैं। अप्रार्थी की कभी भी प्रार्थीगण ने देखभाल नहीं की। वादग्रस्त भूमि पर भी प्रार्थीगण ने कभी खेती नहीं की। ना ही कभी कोई कब्जा रहा है।

वादग्रस्त आराजी के पैतृक संपति होने व प्रार्थी क्रम 1 का जन्म से ही 1 हिस्सा 1/48 निहित होने (prima facie) तथा प्रार्थीगण को कोई भरण पोषण भी नहीं दिये जाने से जाहिर होता है कि पैतृक भूमि के बेचान किये जाने पर प्रार्थी 1 को अपने पैतृक संपति के अधिकारों से भी वंचित होना पड़ेगा। अतः जन्म से निहित हिस्सा 1/48 तक की सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

(स) अपूरणीय क्षति :- उपरोक्त विवेचन के आधार पर हिस्सा 1/48 के हद तक [illegible] को खुर्द बुर्द करने या हस्तांतरित करने से प्रार्थी 1 [illegible] अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

उपरोक्त विवेचन [illegible] के आधार पर ग्राम रघुनाथपुरा की वादग्रस्त आराजी हाल खाता नं0 251, 96, 95, 94, 93 के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RT Act r/w O. 39 R 1 & 2 CPC

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अंकित, ग्रा से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी 1 बाबूलाल की ओर से मात्र लिखित जवाब 6 मे/एतमुताबाद पारित किया जाता है कि वह ग्राम खानपुर) की आराजी भूमि खसरा नम्बरान 93, 95, 96, 251 में प्रार्थी क्रम 1 के भाग से अधिक हिस्से 1/6 का कहीं भी रहन, बैयान, दान आदि अंतरण नहीं करे। ना ही खुर्द बुर्द करे। अप्रार्थी क्रम 1 के शेष हिस्से 1/6 (7/16 1/48) पर कोई रोक/स्थगन नहीं होगा। अन्य सहखातेदारों की भूमि पर कोई स्थगन नहीं होगा। अप्रार्थी क्रम 2 व 3 उक्त स्थगन का जमाबंदी पर 'नोट अंकन' केवल नहीं करे जब तक कि ... का ही अनावरण (...) दर्ज किया जा सकता है। यदि जमाबंदी पर स्थगन नोट के अंकन से अप्रार्थी क्रम 1 के शेष हिस्से व अन्य सहखातेदारों के हिस्से पर तकनीकी कारण से स्थगन दर्ज होता है, तो जमाबंदी पर स्थगन का अंकन नहीं करे और SRO Pidawa के कार्यालय में भी स्थगन आदेश रजिस्टर में दर्ज प्रभावी करे। पत्रावली दैनन्दिनी होकर नम्बर हो दर्ज होकर मुताबिक के साथ शामिल हो।
	उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner